कार्यालय जिला परिषद, औरंगाबाद।

सैरात बन्दोवस्ती हेतु आम सूचना

अल्पकालीन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जिला परिषद औरंगाबाद के नियंत्राधीन विभिन्न हाट बाजार एवं तालाब आदि की वित्तीय वर्ष 2020–21 में (01.04.2020 से 31.03.2021) बंदोबस्ती जिला परिषद कार्यलय में दिनांक **–28.03.2020** को 11 बजे दिन में खुली डाक प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। यदि उक्त निर्धारित तिथि को बंदोबस्ती शेष रह जाती है, तब पुनः दिनांक **30.03.2020** को एवं उसमें से शेष रह जाने पर पुनः दिनांक **–31.03.2020** को पूर्व में निर्धारित स्थान एवं समय पर बन्दोवस्ती की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त निर्धारित तिथियों के डाक में भाग ले सकते हैं।

क्र0सं0	सैरात	सुरक्षित राशि	अग्रधन की राशि (कुल सुरक्षित राशि का 20 प्रतिशत)	सुरक्षित राशि का निर्धारण
1	बारूण बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	379500.00	75900.00	
2	जम्होर रेलवे स्टेशन पथ बाजार	266201.00	53240.00	वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक
3	ग्राम मेंह, नरारी खुर्द में गंजीयारी घास एवं मखाना की बन्दोवस्ती	284340.00	56868.00	"
4	ओबरा बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	294214.00	58843.00	"
5	खराटी पशु मेला (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	252425.00	50485.00	"
6	शिवगंज बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	160030.00	32006.00	"
7	भदवा बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	151400.00	30280.00	"
8	अम्बा बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्ता0)	130410.00	26082.00	"
9	मदनपुर बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	140650.00	28130.00	"
10	गोह सब्जी बाजार	151743.00	30348.00	"
11	नबीनगर रेलवे स्टेशन पथ बाजार	96171.00	19234.00	"
12	देवहरा बाजार	67582.00	13516.00	"
13	फेसर बाजार	50826.00	10165.00	"
14	हसपुरा बाजार	53385.00	10677.00	"
15	देव बाजार (जि0प0 नियंत्रणाधीन)	47452.00	9490.00	"
16	अम्बा बाजार (जि0प0	41803.00	8360.00	"

क्र0सं0	सैरात	सुरक्षित राशि	अग्रधन की राशि (कुल सुरक्षित राशि का 20 प्रतिशत)	सुरक्षित राशि का निर्धारण
17	जम्होर बाजार	39940.00	7988.00	"
18	कासमा बाजार	27127.00	5425.00	"
19	खुदवाँ बाजार	23585.00	4717.00	"
20	सुन्दरगंज बाजार	21623.00	4324.00	"
21	चरण बाजार	19857.00	3971.00	"
22	जाखीम (कजपा) बाजार	932.00	186.00	"
23	केताकी बाजार	476.00	95.00	"

तालाब				
24	लेम्बोखाप सिन्दुरिया तालाब	75426.00	15085.00	"

बन्दोवस्ती की शर्तें

1. बन्दोवस्ती वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) के लिए की जाएगी।
2. डाक की सुरक्षित राशि के उपर डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्यिों को बोली लगानी होगी।
3. डाक में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को आवेदन के साथ सुरक्षित राशि 20 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, औरंगाबाद के पदनाम से होना चाहिए।
4. सफल डाकवक्ता को डाक समाप्ति के उपरान्त उसी दिन डाक राशि का पूर्ण राशि जमा करना होगा। राशि जमा करने का साक्ष्य एन0आर0 के रूप में अथवा चेक के रूप में देना अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर जमा की गयी अग्रधन की राशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम डाक्रवक्ता को अवसर दिया जाएग। यह नियम द्वितीय एवं तृतीय डाकवक्ता पर लागू होगा।
5. असफल डाक वक्ताओं द्वारा जमा की गयी अग्रधन राशि डाक समाप्ति उपरान्त आवेदन प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी।
6. डाक में भाग लेने वाले व्यक्यिों को जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः माह के अन्दर का हो) प्रस्तुत करना होगा।

7. डाक वक्ता को स्वलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध सरकार का कोई वसूलनीय राशि बकाया नहीं हैं।

8. डाक कराने वाले पदाधिकारी को बिना कारण बताये और बिना पूर्व सूचना दिये ही डाक को स्थगित करने या अस्वीकृत करने अथवा उपरोक्त किसी नियम एवं शर्त को पूर्णतः या अंशतः शिथिल/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

9. बन्दोवस्तधारी को अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये युक्तिसंगत सभी आदेशों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. आवेदनकर्ता को स्वयं डाक में भाग लेना होगा। निबंधित प्रतिष्ठान के मामले मं अधिकृत प्रतिनिधि डाक में भाग ले सकेगें।

11. हाट/बाजार की चूंगी वसूलने की दरो को निर्धारित करने का अधिकार मात्र अधोहस्ताक्षरी को होगा।

12. बन्दोवस्तधारी निम्नांकित स्वीकृत दरों के अनुसार ही चूंगी वसूलने के अधिकारी होगें, उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वसूली नहीं करेगें।

13. चूंगी वसूली के सबूत में बन्दोवस्तधारी को स्वयं के खर्च से मुद्रित रसीद वाहन चालको को देना होगा।

14. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्रांक–509 (9)रा0, दिनांक–17.08.2015 से प्राप्त निदेश के आलोक में सैरात बन्दोबस्तदारी को उच्चतम डाक राशि के 5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत यानी 10 प्रतिशत निबंधन कार्यालय में सफल बन्दोबस्तदार द्वारा जमा कर चालान की प्रति जिला परिषद, कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने पर बन्दोबस्तदार को परवाना निर्गत किया जायेगा।

15. बन्दोवस्तधारी को हाट/बाजार की नियमित साफ सफाई स्वयं के खर्च से कराना होगा एवं किसी भी प्रकार की नई संरचना निर्माण करने का अधिकार बन्दोवस्तधारी को नहीं होगा।

नोट– कोई व्यक्ति इस पूरी डाक प्रक्रिया के दौरान सूची में अंकित एक से अधिक डाक में भाग लेने के लिये स्वतंत्र हैं। तथा पचास हजार से उपर अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक के रूप में जमा करना होगा।

नोट – इसके लिए बेबसाईट www.auranabad.bih.nic.in देखा जा सकता हैं एवं डाउनलोड किया जा सकता हैं।

उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य,
कार्यपालक पदाधिकारी ,जिला परिषद,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक 192 /जि०प०,दिनांक – 17·3·2020

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, औरंगाबद/आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद/अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दाउदनगर/जिला सूचना एवं जन सर्म्पक पदाधिकारी औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित कराने की कृपा करे।

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एंव जनसर्म्पक विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला एवं सभी अंचल अधिकारी औरंगाबाद जिला/सभी थाना प्रभारी, को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– पूर्व के सभी प्रथम एवं द्वितीय डाक वक्ता को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता जिला परिषद, औरंगाबाद/सभी कनीय अभियन्ता जिला परिषद, औरंगाबाद/रोड सरकार सभी को सूचनार्थ एवं उन्हें आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने स्तर से व्यापक पैमाने पर प्रचार–प्रसार का कार्य करायेगें।

प्रतिलिपि– नगर थाना औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्धारित तिथि को जिला परिषद कार्यालय में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य,
कार्यपालक पदाधिकारी ,जिला परिषद,
औरंगाबाद।

17/3/2020

Janardan/DAK/OF/zp2020